

लोक सभा सचिवालय

प्रेस एवं जनसंपर्क स्कंध
संसद भवन, नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

Press and Public Relations Wing
Parliament House, New Delhi



LEGISLATIVE DRAFTING IS SOUL OF ANY LAW, CLARITY AND SIMPLICITY IN LEGISLATION VERY IMPORTANT: LOK SABHA SPEAKER/अच्छा विधायी प्रारूपण ही प्रभावी कानून का आधार है: कानूनों में स्पष्टता और सरलता आवश्यक है: लोक सभा अध्यक्ष

...

IT IS IMPORTANT FOR LEGISLATORS AND OFFICIALS TO BE WELL VERSED WITH LEGISLATIVE DRAFTING: LOK SABHA SPEAKER/विधि निर्माताओं और अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण से सुपरिचित होना बहुत आवश्यक है: लोक सभा अध्यक्ष

...

FOREIGN PARTICIPANTS FROM 13 COUNTRIES ATTENDING 36TH INTERNATIONAL LEGISLATIVE DRAFTING TRAINING PROGRAMME CALL ON LOK SABHA SPEAKER/ संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) द्वारा आयोजित 36वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे 13 देशों के कुल 28 प्रतिभागियों ने लोक सभा अध्यक्ष से मुलाकात की।

...

PARTICIPANTS PRAISED THE LEGISLATIVE PROCESSES AND THE USE OF TECHNOLOGY IN WORLD'S LARGEST DEMOCRACY/ प्रतिभागियों ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में विधायी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना की

...

New Delhi; 03 April, 2025: Lok Sabha Speaker Shri Om Birla today observed that Legislative Drafting is the soul of any law. Stressing on clarity and simplicity in

legislation, he highlighted that as laws impact society and people for a long time, they must be clear and simple for understanding of the common people. This will lead to less litigations in courts and in turn save the resources. In the context of the dynamic socio economic transformation of the world, he stated that it is very important for Legislators and officials to be well versed with Legislative Drafting in order to ensure that the needs of the public are fulfilled. This also results in meaningful debate and discussion on draft bills in the Parliament, he said.

Shri Birla made the remarks during an interaction with a group of 28 foreign participants from 13 countries attending in the 36th International Legislative Drafting Training Programme being organized by the Parliamentary Research and Training Institute for Democracies (PRIDE) of Lok Sabha Secretariat in Parliament House, today.

<https://x.com/ombirlakota/status/1907737041041076333>

The participants praised the legislative processes adopted in world's largest democracy and the use of technology in simultaneous interpretation in 22 indian languages and 6 foreign languages.

The programme is being conducted from March 26 to April 22, 2025 in coordination with the Ministry of External Affairs (Government of India) as part of the ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) scheme.

Highlighting India's growing stature as the world's largest democracy, Shri Birla highlighted that PRIDE is playing a vital role in capacity building of legislatures from around the world. He observed that good Legislative Drafting is the core of proper legislation and hoped that this training programmes would be very helpful for all participants.

During the programme, participants are being trained on several themes, including the Constitution of India, the legislative process, parliamentary privileges, administrative law, consumer protection, and the new criminal laws. The participants will also have attachments with the Ministry of Law and Justice and State Legislatures.

नई दिल्ली; 03 अप्रैल, 2025: लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज कहा कि विधायी प्रारूपण विधि का आधार है। विधि निर्माण में स्पष्टता और सरलता पर जोर देते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चूंकि कानून लंबे समय तक समाज और लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए कानून स्पष्ट और सरल होने चाहिए ताकि आम लोग उन्हें समझ सकें। इससे न्यायालयों में वादों की संख्या में कमी आएगी; साथ ही संसाधनों की भी बचत होगी। श्री बिरला ने यह भी कहा कि विश्व में तेजी से हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव को देखते हुए, विधि निर्माताओं और अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण से सुपरिचित होना बहुत आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों। इससे सदन में भी अर्थपूर्ण बहस को बढ़ावा मिलेगा।

<https://x.com/ombirlakota/status/1907737041041076333>

उन्होंने आज संसद भवन में संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) द्वारा आयोजित 36वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 13 देशों के कुल 28 प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। प्रतिभागियों ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनायी जा रही विधायी प्रक्रियाओं और में simultaneous interpretation में प्रयोग की जा रही तकनीक की प्रशंसा की।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की भूमिका के बारे में बात करते हुए, श्री बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि PRIDE पूरी दुनिया के विधानमंडलों को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा विधायी प्रारूपण ही प्रभावी कानून का आधार है। इसलिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत उपयोगी हैं।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 मार्च से 22 अप्रैल, 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम ITEC (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) योजना के भाग के रूप में विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को भारत के संविधान, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, प्रशासनिक विधि, उपभोक्ता संरक्षण और नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा राज्य विधानमंडलों के साथ भी सम्बद्ध किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रतिभागियों ने लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही भी देखी। वे दिल्ली न्यायिक अकादमी तथा अन्य दर्शनीय स्थलों का दौरा भी करेंगे।